न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, भोपाल

राजस्व प्रकरण कमांक ..../16

1— देवव्रत सिंह पुत्र स्वर्गीय राजा रविंद्र बहादुर सिंह
आयु—वयस्क
निवासी—कमल विलास पैलेस, खैरागढ़, छत्तीसगढ़

2— श्रीमती उषा देवी पुत्र श्री फतेह दमन सिंह
आयु—वयस्क
निवासी—जयकांति नागपुर, महाराष्ट्र

3— (अ) श्री संजय सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सी.पी. सिंह
आयु—वयस्क
(ब) प्रणय सिंह स्वर्गीय श्री सी.पी. सिंह
आयु—वयस्क
दोनों निवासी—होटल बिस्साउ, राजस्थान

4— श्री भवानी बहादुर सिंह पुत्र श्री शिवेंद्र बहादुर सिंह
आयु—वयस्क
निवासी—लालनिवास डोंगरगढ़, जिला—राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
उपरोक्त वर्णित अपीलार्थी कमांक—2 से 4 के
अधिकृत एवं पंजीकृत मुख्त्यारआम पुनरीक्षण
कमांक—1 श्री देवव्रत सिंह की ओर से यह
पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है। ....पुनरीक्षणकर्ता गण

विरुद्ध

1— श्रीमती भावना बिजलानी पत्नी श्री मोहन बिजलानी
निवासी—.124 ईदगाह हिल्स भोपाल

2. श्री सुनील कुमार गर्ग पुत्र श्री रामअवतार गर्ग
निवासी— 184 गौतम नगर भोपाल

3. श्री रामअवतार गर्ग पुत्र रामतार गर्ग
निवासी— 184 गौतम नगर भोपाल ....प्रति पुनरीक्षणकर्ता गण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा—50 सहपठित धारा—32 म.प्र. भू—राजस्व संहिता

अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर भोपाल द्वारा पुनर्विलोकन राजस्व प्रकरण कमांक—02/पुनर्विलोकन/15—16 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों एवं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है।

पुनरीक्षणकर्ता गणों की ओर निम्नानुसार पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है:—

पुनरीक्षण के तथ्य :—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर भोपाल ने स्वयं के द्वारा अंतिम रुप से निराकृत प्रकरण कमांक—146/अ—6/2013—2014 में पारित अंतिम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 339-पीबीआर/17 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-1-2017	आवेदकगण द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नजूल अधिकारी राजधानी परियोजना टी.टी.नगर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-9-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । उक्त आदेश से नजूल अधिकारी द्वारा आवेदक की इस आपत्ति को निरस्त करते हुये कि प्रकरण में केवियट विधिवत् प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिये केवियट निरस्त की जाये । केवियटकर्ता को सूचना जारी करने के निर्देश दिये गये हैं और प्रकरण केवियटकर्तागणों की उपस्थिति हेतु नियत किया जाकर दिनांक 13-10-2016 की पेशी नियत की गई है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	